

No.2017/HQ/Admin/RTI-47

New Delhi: 02.06.2017

Shri Khaim Chand
S/o Shri Yadoo
Village & PO: Prithla,
Teh. & Distt: Palwal
Haryana-121 102
Mobile # 8398-985-729

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।

Providing information under the RTI Act 2005


Ref: Original application dt. 22.05.2017 received on 22-05-2017 from
 Shri Khaim Chand R/o Palwal Haryana

The Information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

S.No.	Information required	DFCCIL serialized answer
1	Item (i)	भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमिहीनों को रेलवे परियोजनाओं में नौकरी देने से संबंधित दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.07.2010 के पत्र संख्या E(NG)II/2010/RC-5/1 द्वारा जारी किये गये हैं जो कि केवल रेलवे/उत्पादन यूनिटों पर लागू है ना कि रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों (पी. एस. यू.) और अन्य यूनिटों पर। अतः ये नीति डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पी. एस. यू.) है। Railway Board Policy circulated vide letter no. E(NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.07.2010 regarding appointment of land losers affected by land acquisition for railway projects is applicable only to Railway/Production Units and not to Railways Public Sector Undertakings (PSUs) and other Units. As such, this policy is not applicable to Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) as it is Public Sector Undertaking (PSU).
2	Item 2-4	इसका उत्तर संबंधित प्राधिकारी से मिलते ही आपको भिजवा दिया जाएगा।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, गुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, नई दिल्ली-110001 जिन्हें इस उत्तर के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस सूचना आवेदन के संबंध में निःशुल्क अपील की जा सकती है।



CC to : AGM/HR-II

ED556025143IN

(Handwritten signature)
02/06/17

(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI